

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,  
 C/मेश्वर शंकरज्जालम मैथवाल

जागौर

साथ जो लाधियां

बनाम :



बरजदिवी w/o कज्जालम मैथवाल

साथ जो लाधियां

किस्त मुकदमा 88,188,53 RTA -वाइ-फ़ मु. नम्बर

67

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
21/4/18	<p>वादी की और से वकील श्री विष्णु दत्त शर्मा ने यह वाद पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अगले प्रतिवादी को जरूरी सम्मन टालव किया जावे पत्रावली दिनांक 25.4.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      नावां (नागौर)                 </p>	
25/4/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 3/5/18 को पेश हो।</p>	
3/5/18	<p>पत्रावली शमसु खोत्र अदालत शिविर श्रीमधुपूर में पेश हुई। पक्षकारण हाजीर नहीं होने से एम्बेडरिंग नहीं हो सकी पत्रावली दिनांक 10.7.18 को पेश हो।</p>	
10/7/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 13.8.18 को पेश हो।</p>	
13.8.18	<p>वकील वादी उपर प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने हेतु विदापत की गई मि 15/10/18 को पेश हो।</p>	
15/10/18	<p>अज अदालत में कार्य स्वरूप कर कार्य स्वरूप का रिपोर्ट जमा/पत्रावली इत्यादि तालव दिनांक 21/11/18 को पेश हो।</p>	
21/11/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 24/11/19 को पेश हो।</p>	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख में जारी हुए

22/1/19

वकील वादी उप। प्रतिवादीशरण के सम्मन पेश किये हेतु समय चाहते हैं पूर्व में बाट-बाट समय दिया जा चुका है अन्तिम अवसर दिया जाता है। दि. 13/2/19 को पेश हो।



13/2/19


पत्रावली पेश कर एसोसियशन में कन्वेंशन कर कार्य स्वगन का निवेदन किया / पत्रावली इलाका होकर दिनांक 13/2/19 को पेश हो।

13/3/19

पत्रावली पेश कर एसोसियशन में कन्वेंशन कर कार्य स्वगन का निवेदन किया / पत्रावली इलाका होकर दिनांक 13/3/19 को पेश हो।

31/4/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं को बाट-बाट अवज लभायी गई जिसमें वचनपूर्व अनुपस्थित रहे हैं।

अतः वादी का वाह अल्प हजरी अल्प पैरवी में खालि किया जाता है। पत्रावली फौजल गुजार होकर दाखिल बन्द रहो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नावा (नागौर)